

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा० प्र० से०,  
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

समाहर्ता,  
अररिया, सुपौल एवं शिवहर।

फैक्स /  
ई-मेल

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0106 गृहविहिन परिवारों के रैयती भूमि क्रय, मांग सं०-40 विपत्र कोड-पी04047007890106, विषय शीर्ष-5302 मू-अर्जन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में कुल 3,50,72,000/- (तीन करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-259(8)/रा० दिनांक-24.03.2017 आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में बिहार गृह स्थल क्रयनीति 2011 अंतर्गत अनुसूचित जातियों के गृहविहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित जिलो को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 3,50,72,000/- (तीन करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार) रूपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र०	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	अध्याचना संख्या	संबंधित शाखा द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रूपये में)	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अररिया	शून्य	पत्रांक-86/रा० दिनांक-17.01.2017	2,79,72,000/-	2,79,72,000/-	2,79,72,000/-
1	सुपौल	शून्य	पत्रांक-38-2 दि०-30.01.2017	60,00,000/-	60,00,000/-	60,00,000/-
2	शिवहर	शून्य	पत्रांक-37 रा० दि०-18.01.2017	11,00,000/-	11,00,000/-	11,00,000/-
कुल		00		3,50,72,000/-	3,50,72,000/-	3,50,72,000/-

(तीन करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार) रूपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

कृ०पृ०उ०

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट) बिहार, पटना/\*सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-..... 58-(5) /रा0, पटना-15, दिनांक- 23/3/17

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।